न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

पीठासीन अधिकारी श्री जयसिंह आर ए एस

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 02/02/2019

वउनवान

1. रमेश पुत्र सुमेरा जाति जाटव निवासी मसारी तहसील कठूमर जिला अलवर

------ सायल

बनाम

1. रामप्रसाद पुत्र लाखराम जाति जाटव निवासी मसारी तहसील कठूमर (अलवर)
2. उप पंजीयक कठूमर तहसील कठूमर जिला अलवर

----- गैरसायलान

दर0 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित :-

श्री देवेन्द्रसिह नरूका

श्री श्यामसिंह चौहान : एडवोकेटस सायल

श्री रामजीलाल शर्मा : एडवोकेट गैरसायल

आदेश

दिनांक 11/2/2019

सायल द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि आराजी खसरा नम्बर 1575 रकवा 1.05 हे. 1993 रकवा 0.75 हे. 1998 रकवा 0.71 हे. ग्राम मसारी तहसील कठूमर में स्थित है। सायल, तरतीवी प्रतिवादीगण एक ही संयुक्त हिन्दु परिवार के सदस्य है। उक्त आराजी सायल के पिता सुमेरा की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी थी। जिस पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने के पूर्व से ही सायल, तरतीवी प्रतिवादीगण व सायल के पिता सुमेरा का कब्जा चला आ रहा हैं। जव तक सायल के पिता जीवित रहे विवादित आराजी पर काविज रहकर काश्त करते चले आ रहे है। सायल के पिता के फौत हो जाने पर विवादित आराजी सायल व तरतीवी प्रतिवादीगण को विरासत में प्राप्त हुई है। इस प्रकार विवादित आराजी पैत्रिक है। सायल के पिता के फौत हो जाने पर विवादित आराजी का 1/5 हिस्सा सायल व 4/5 हिस्सा तरतीवी प्रतिवादीगण को विरासत में प्राप्त हुआ है। विवादित आराजी से गैरसायल का किसी तरह का सम्बन्ध व सरोकार नहीं है। इस प्रकार सायल तरतीवी प्रतिवादीगण का विवादित आराजी पर प्रतिकूल कब्जा है। कानूनन जिस भूमि पर किसी व्यक्ति का 12 साल से अधिक समय से लगातार कब्जा हो उसे उस आराजी वावत स्वतः ही यानि बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जाते है। सायल विवादित आराजी वावत कब्जा मुखालफाना के आधार पर खातेदारी अधिकार घोषित करवाने के अधिकारी है। गैरसायल ने सही तथ्यों को छुपाकर गलत तथ्यों के आधार पर विवादित आराजी को अदालत के आदेश से अपने नाम दर्ज

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

Scanned by CamScanner

करा लिया है। जिससे सायल के हक हकूकों पर विपरीत असर पड रहा है। गलत राजस्व रेकार्ड के आधार पर गैरसायल सायल के कब्जे काश्त में बाधा पैदा कर रहा है तथा रहन वय करने की धमकी दे रहा है। यदि गैरसायलान अपने नापाक ईरादों में कामयाव हो गये तो सायल को अपार हानि असुविधा व क्षति होगी। अतः सायल ने प्रार्थना पत्र स्वीकार कर गेरसायलान को ता फैसला दावा पाबन्द कराने का निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र सायल दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायलान को जरिये नोटिस तलव किया गया। गैरसायल ने जवाव प्रार्थना पत्र पेश किया कि विवादित आराजी सायल के पिता सुमेरा की कभी नहीं रही। सायल व तरतीवी प्रतिवादीगण का विवादित आराजी से किसी तरह का सम्बन्ध व सरोकार नहीं है। साविक खसरा नम्बर 368, 588, 589, 590 ग्राम मसारी मंगल पुत्र टीकम की तन्हा कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है जिसे मंगल ने परभाती पुत्र पन्नालाल को जरिये रजिस्टर्ड वयनामा वेचान कर कब्जा परभाती को करा दिया जिस वयनामा के आधार पर इन्तकाल संख्या 1112 ग्राम पंचायत मसारी ने स्वीकार किया। वाद खरीद से परभाती उक्त आराजी पर काविज रहकर काश्त करने लग गये। करीब 50 साल पहले परभाती ने मामचन्द को विक्रय कर दी। उस समय मामचन्द कठूमर में कार्यरत थे लेकिन मामचन्द का स्थानान्तरण हो जाने की वजह से प्रभाती उनके साथ चले गये। इस वजह से गैरसायल सं0 1 के पिता के नाम वयनामा नहीं हो पाया। वरोज खरीद से ही गैरसायल सं0 1 के पिता विवादित आराजी पर काविज रहकर काश्त करते चले आ रहे थे। उनके मरने पर गैरसायल सं0 1 विवादित आराजी पर काविज रहकर काश्त करता चला आ रहा है। विवादित आराजी पर गैरसायल सं0 1 का ही लगातार कब्जा चला आ रहा है। जिस लगातार कब्जा के आधार पर गैरसायल सं0 1 ने उक्त आराजी की खातेदारी की घोषणा अपने नाम कराने वावत राजस्व वाद माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जो अदालत श्रीमान ने खारिज किया जिसकी गैरसायल सं0 1 ने माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी अलवर के न्यायालय में अपील पेश की जो अपील माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी अलवर द्वारा दिनांक 26.03.2018 को स्वीकार कर वाद वादी डिक्री किया गया। जिस निर्णय एंव डिक्री के आधार पर गैरसायल सं0 1 के नाम विधिवत खातेदारी दर्ज हुई है। पटवारी हल्का द्वारा भी विवादित आराजी पर गैरसायल सं0 1 का कब्जा पाया गया है। हाल राजस्व रेकार्ड सही है। सायल ने सही तथ्यों को छुपाकर गलत तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र पेश किया है जो खारिज किया जावे। सायल ने अपने प्रार्थना पत्र के साथ जमाबन्दी संवत 2057, 2058 से 2061, 2062 से 2065, खसरा गिरदावरी संवत् 2030 से 2033 वाके ग्राम मसारी की सत्य प्रतिलिपी पेश की है। जो शामिल पत्रावली है।

वहस सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता सायल ने अपनी वहस के दौरान मुख्य रूप से अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराया व कथन किया कि विवादित आराजी सायल के पिता सुमेरा की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है जिस पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के लागू होने के पूर्व से लगातार कब्जा चला आ रहा है तमाम साविक रेवन्यु रेकार्ड में विवादित आराजी वावत कब्जे के इन्द्राजात दर्ज है। गैरसायल का विवादित आराजी से किसी तरह का बास्ता नहीं है। हाल राजस्व रेकार्ड गलत है। अतः सायल

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

Scanned by CamScanner

का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे। विद्वान अधिवक्ता गैरसायल ने अपनी वहस में मुख्य रूप से अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि विवादित आराजी पर गैरसायल सं0 के पिता का विगत 50 साल से लगातार कब्जा है जो खरीदशुदा आराजी है। लगातार कब्जा के आधार पर अपील स्वीकार होकर उक्त आराजी गैरसायल की खातेदारी में विधिवत दर्ज की गई है। अतः सायल का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

हमने पत्रावली के तथ्यों प्रस्तुत राजस्व रेंकार्ड का अवलोकन किया तथा उभय पक्षकारारन के विद्वान अधिवक्तागण की वहस पर मनन किया। सायल को अपने प्रार्थना पत्र को सावित करने के लिये निम्न विन्दुंओं को अपने पक्ष में सावित कराना है :

1. प्रथम दृष्टा केस
2. सुविधा का सन्तुलन
3. ना पूर्ति होने वाली क्षति

हमने पत्रावली के तथ्यों प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्तागण की वहस पर मनन किया। सायल ने विवदित आराजी पर अपने पिता सुमेरा के समय से कब्जे को सावित करने के लियें खसरा गिरदावरी पेश की है। खसरा गिरदावरी संवत् 2030 से 2033 के अवलोकन से विवादित आराजी पर सायल के पिता सुमेरा के कब्जे के इन्द्राज है विवादित आराजी पर सायल के पिता सुमेरा व सायल का कब्जा प्रतीत होता है। सायल ने विवादित आराजी वावत अपने व तरतीवी प्रतिवादीगण के नाम खातेदारी अधिकारों की घोषणा कराये जाने वावत दावा पेश किया है। राजस्व रेकार्ड के अवलोकन से विवादित आराजी पर सायल के पिता सुमेरा व सायल के पुराने कब्जे का अनुमान किया जाता है। सायल के खातेदारी घोषित कराने के अधिकार मूल वाद में साक्ष्य सवूत आने पर तय किये जावेंगें। गैरसायलान को पाबन्द किये जाने से उन्हें किसी तरह का नुकशान क्षति या असुविधा होती हो ऐसी स्थिति अदालत के समक्ष नहीं है। प्रथम दृष्टा केस सुविधा का सन्तुलन एंव ना पूर्ति होने वाली क्षति तीनों विन्दु सायल के पक्ष में प्रवल है। अतः सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर गैरसायलान को दावा के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वो आराजी खसरा नम्बर 1575 रकवा 1.05 हे. 1993 रकवा 0.75 हे. 1998 रकवा 0.71 हे. ग्राम मसारी तहसील कठूमर में सायल के कब्जे काश्त में बाधा पैदा ना करे जवरन वेदखल कर खुद कब्जा ना करे। रहन वय ना करे। मौका एंव रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। पत्रावली फैसल सुमार होकर मूल वाद के साथ सलग्न हो।

(जयसिंह)
उपखण्ड अधिकारी कठूमर(अलवर)

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

आज दिनांक 11/2/19 को यह आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जयसिंह)
उपखण्ड अधिकारी कठूमर(अलवर)

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

Scanned by CamScanner